



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड-२४६१६६

Sri Dev Suman Uttarakhand University

Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांक:- 7151/प्रशासन/एसडीएसयूवी/2023

दिनांक: 02 नवम्बर, 2023

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टि0ग0 मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) एवं सुरक्षाकर्मियों की आपूर्ति हेतु निविदा विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय (प्रशासनिक भवन, पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश) में बाह्यश्रोत से मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) एवं सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाने के सम्बन्ध में अनुभवी मान्यता प्राप्त पंजीकृत सुरक्षा एजेन्सियों / फर्मों से दिनांक 29 नवम्बर, 2023 सांय 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक से मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा प्रपत्र का मूल्य 2,000/- + GST (Rs.2360.00) होगा। निविदा के लिफाफे में सुरक्षा एवं अन्य कर्मियों की आपूर्ति हेतु निविदा अंकित किया जाना होगा। निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट www.sdsuv.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा प्रशासनिक भवन से कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(खेमराज भट्ट),

कुलसचिव।

पत्रांक:- 7151/प्रशासन/एसडीएसयूवी/2023

दिनांक-02.11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समाचार सम्पादक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान (नई टिहरी), कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र पर 6x4 से0मी0 के आकार में दिनांक 03.11.2023 के उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित कर बिल में 25 प्रतिशत की कटौती करते हुये बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. मुख्य वित्त अधिकारी।
5. विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

(खेमराज भट्ट),

कुलसचिव।

सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु निविदा
आवश्यक शर्तें, वर्ष 2023-24

1. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति की धनराशि रू0 2.00 लाख का एफ०डी०आर० (F.D.R) वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के पदनाम से बंधक करते हुए संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे बिड सं०- 01 में ही संलग्न करें, अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र को सावधानी पूर्वक भरा जाये, यदि कहीं भी कटिंग/ओवरराइटिंग / इरेजिंग एवं फ्लूड का प्रयोग कदापि न किया जाये। परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो काटकर अलग से स्पष्ट लिखे व अपने लघु हस्ताक्षर भी करें, अन्यथा निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेश के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी एजेन्सी द्वारा अनुमन्य करायी जाएगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी जानकारी ली जा सकती है तथा न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, लेकिन एजेन्सी / फर्म, श्रम विभाग के द्वारा मजदूरी में वृद्धि किए जाने पर विश्वविद्यालय से अतिरिक्त माग नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि **उक्त शासनादेश के प्रस्तर 03 को अतिक्रमित करते हुए मजदूरी की दरों के संदर्भ में 1/ 26 के स्थान पर निविदा /भुगतान मासिक आधार पर सम्पन्न किया जाएगा। मजदूरी की दर पूर्ण माह के आधार पर रहेगी।**
4. उक्त निविदा एक वर्ष हेतु प्रदान की जायेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उन्ही दरों पर दोनों पक्षों की सहमति से निविदा को आगामी 01 (एक) वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
5. फर्मों द्वारा दरे (समस्त कर, जी०एस०टी० सहित) मासिक आधार पर अंकित की जाएं तदनुसार ही मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
6. कार्यदायी फर्मों द्वारा प्रदत्त सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सेवा में कमी पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सेवा / अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा एवं साथ ही धरोहर राशि (ई०एम०डी०) जब्त करते हुए काली सूची में नाम दर्ज कर दिया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय अधिकृत अधिकारी / सदस्यों द्वारा मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) सुरक्षा संबंधी सेवाओं अथवा मैन पॉवर, सुरक्षाकर्मियों की समय-समय पर निरीक्षण करते हुए निगरानी (Monitering) की जाएगी। मैनपॉवर एवं सुरक्षाकर्मी के अनुपस्थिति में उस दिवस के पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी। सेवाएं संतोषजनक न होने की दशा में सम्बन्धित माह में बिल से दण्ड के रूप में 5% से 10% तक कटौती की जायेगी।
8. सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) एवं रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मी शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हों। मैनपावर एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या अनुमानित दी गयी है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार कम व अधिक की जा सकती है।

9. जो कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे, उनका कोई अपराधिक इतिहास न हो। यह सुनिश्चित करना फर्म का दायित्व होगा। सुपरवाइजर द्वारा प्रतिदिन ड्यूटी चैक कर उसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय में नामित अधिकारी को दी जाएगी ऐसा नहीं करने पर पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी।
10. उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मी / मैनपावर / सुपरवाइजर का पूर्ण विवरण पुलिस सत्यापन के साथ सेवायें प्रारम्भ करने के समय विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
11. सेवा प्रदाता फर्म (सफल निविदादाता/फर्म) को अनुबंध/आपसी सहमति के समय वार्षिक सेवा शुल्क/सेवा लागत / विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले कुल भुगतान का अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित 10% कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि एफडीआर (F.D.R) के माध्यम से वित्त अधिकारी के पदनाम से एक माह के भीतर जमा किया जाना आवश्यक होगा।
12. सेवा की मासिक शुल्क/मासिक लागत के भुगतान के देयक से नियमानुसार आयकर कटौती एवं जी०एस०टी० कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
13. उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों का पारिश्रमिक सम्बन्धित फर्म द्वारा सीधे कार्मिकों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसका विवरण सूची रसीद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ई०पी०एफ०, ई०एस०आई की धनराशि उनके ई०पी०एफ० ई०एस०आई० खाते में निर्धारित समय पर जमा करनी होगी, जिसकी विवरण सूची रसीद विश्वविद्यालय को अगले माह के बिल के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। तभी बिल पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म द्वारा कार्मिकों को उनके मासिक, E.P.F., E.S.I. जमा की सूचना व मासिक वेतन स्लिप भी देनी आवश्यक होगी। ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० हेतु जमा करने का दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। इस पर विश्वविद्यालय में कोई दावा नहीं किया जायेगा।
14. संस्था अपने कर्मियों को एक परिचय पत्र जारी करेगी, जिसे सम्बन्धित कार्मिक द्वारा ड्यूटी पर धारण करना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी/ मैनपावर की सूची मय फोटो विश्वविद्यालय को कार्यालय निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करना होगा।
15. यदि फर्म द्वारा विश्वविद्यालय से किया गया अनुबंध समय से पूर्व समाप्त किया जाना हो तो इसकी सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित रूप में देनी होगी। फर्म द्वारा समय पूर्व अनुबंध समाप्त करने पर कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।
16. संस्था द्वारा अनुबंध की मासिक धनराशि का देयक माह समाप्त होने के उपरान्त प्रस्तुत करना होगा।
17. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय सक्षम अधिकारी/विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिये कोई पृच्छा /कारण नहीं जायेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।
18. निविदादाता / फर्मों का पंजीकरण उसी के नाम से आयकर विभाग एवं वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
19. समस्त कार्मिक विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्य करेंगे।

20. विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निविदा को निरस्त करने का अधिकार रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
21. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोलने पर विचार किया जायेगा।
22. फर्म हेतु अनुभवी सुरक्षाकर्मियों को भी नियुक्त करेगा एवं विश्वविद्यालय / परिसर का युक्तियुक्त तरीके से रखरखाव करेगा। नियुक्त सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय/परिसर की गरिमा एवं गोपनीयता बनाये रखेंगे। यदि किसी सुरक्षाकमी द्वारा गरिमा / गोपनीयता के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो सम्बन्धित सुरक्षाकर्मी को तत्काल हटाना होगा तथा ऐसे सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जायेगी एवं सम्बन्धित फर्म को भी जवाब देह बनाया जायेगा।
23. फर्म का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले के मैनपावर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) एवं सुरक्षाकर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान माह समाप्त होने के 07 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें।
24. कार्य स्थल पर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मियों के साथ ड्यूटी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना हेतु विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
25. सफल निविदादाता फर्म को विश्वविद्यालय में कार्य पर लगाये गये मैनपावर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) एवं सुरक्षाकर्मियों के नाम व पते का विस्तृत विवरण पहचान हेतु विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
26. नियोजित सुरक्षाकर्मियों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
27. विश्वविद्यालय सम्पत्ति को फर्म द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मी द्वारा किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए जाने की स्थिति में उसका भुगतान फर्म को करना होगा।
28. मैनपावर (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक)/सुरक्षाकर्मी/ सुरक्षाकर्मियों के कार्य से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके स्थान पर किसी अन्य सुरक्षाकर्मी/कार्मिक को फर्म द्वारा नियोजित किया जायेगा, फर्म द्वारा ऐसा न करने पर सुरक्षाकर्मी/सुरक्षाकर्मियों का उस अनुपात में पारिश्रमिक काट लिया जायेगा तथा फर्म पर शारिर्त (penalty) स्वरूप उस माह के बीजक (बिल) से 10% की कटौती की जा सकेगी।
29. फर्म द्वारा नियोजित किये गये सुरक्षाकर्मियों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों का पालन करना फर्म का उत्तरदायित्व होगा। फर्म को सम्बन्धित कानून की जानकारी ना होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।
30. विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान, मादक पदार्थ रहित क्षेत्र है। फर्म द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय/ परिसर में किसी प्रकार के धूम्रमान, मादक पदार्थ का प्रयोग कदापि नहीं करेगा।
31. विश्वविद्यालय के द्वारा निविदाएं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही हैं। किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के समस्त प्राविधान व सिद्धान्त अंतिम रूप से प्रभावी होंगे।

32. बाह्य श्रोत से तैनात कार्मिकों का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, बीमा इत्यादि का भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा, इसमें विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
33. मजदूरी की गणना वित्तीय विड में उल्लिखित कुल योग के आधार पर की जायेगी।
34. किसी भी बात के लिए क्षेत्राधिकार स्थानीय न्यायालय टिहरी के अन्तर्गत रहेगा।


(के0 आर0 भट्ट)
कुलसचिव।

निविदा प्रपत्र 2023-24
(सुरक्षा एवं अन्य मैनपावर)

1. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि
2. कुल पृष्ठ संख्या
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य
4. संस्था का नाम व पता
5. दिनांक

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष, नाम मुहर

- नोट- (1) कृपया दरों को अंकित करने से पूर्व निविदा प्रपत्र में दिये गये नियमों / शर्तों का भली प्रकार अध्ययन कर लें।
- (2) दरों को संलग्न निविदा प्रपत्रों में अंको व शब्दों दोनों में अंकित करें।


कुलसचिव

बिड नम्बर-01

निविदा तकनीकी प्रपत्र (सुरक्षा एवं अन्य मैनपॉवर कार्य हेतु) 2023

1. निविदा फॉर्म शुल्क जमा का विवरण -
2. निविदा प्रतिभूति (EMD) विवरण -
 1. धनराशि -
 2. ड्राफ्ट नं० / एफ०डी०आर० सं०-
 3. दिनांक -
 4. जारीकर्ता बैंक का नाम -
3. निविदादाता फर्म / एजेन्सी की स्थापना की तिथि च पंजीकरण संख्या (छायाप्रति संलग्न) -
4. निविदादाता फर्म / एजेन्सी का पूरा नाम -
(कार्यालय पता, दूरभाष नं. फैक्स नं. सम्पर्कों का नाम सहित)
5. निजी सुरक्षा एजेंसी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत लाइसेंस अधिनियमावली 2005 के तहत लाइसेंस-
6. पैन एवं टैन नम्बर (संलग्न छायाप्रति)-
7. उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत फर्म लाइसेन्स (छायाप्रति संलग्न)-
8. जी० एस० टी० नम्बर (संलग्न छायाप्रति) -
9. ई० पी० एक० रजिस्ट्रेशन नम्बर (संलग्न छायाप्रति) -
10. ई० एस० आई० रजिस्ट्रेशन नम्बर (संलग्न छायाप्रति) -
11. किसी राजकीय / केन्द्रीय विभाग / संस्थान में काली सूची (Black listed) में नाम दर्ज नहीं होने संबंधित घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र (संलग्न प्रति)-
12. पसारा लाइसेन्स, उत्तराखण्ड (Pasara Licence) (संलग्न छायाप्रति)-
13. निर्धारित शर्तों के प्रारूप की घोषणा पत्र हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है-
14. विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
15. निविदादाता का विगत तीन वर्षों का कुल टर्नओवर रु० 08.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिस हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. अनुभव प्रमाण-पत्र (विभिन्न राजकीय विभागों / संस्थाओं / अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में सुरक्षा कार्य च अन्य मैनपॉवर आपूर्ति करने का न्यूनतम 08 वर्षों का अनुभव, जिसमें न्यूनतम प्रतिवर्ष 60 कार्मिकों को लगाया हो तथा अन्य मैनपॉवर में प्रतिवर्ष 15 कार्मिकों को लगाया हो) का विवरण इस हेतु राजकीय कार्यालय / संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रमाण-पत्र न होने पर ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - (अ) राजकीय कार्यालय / संस्थान का नाम.....
 - (ब) पूर्व वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण.....
 - (स) न्यूनतम 60 सुरक्षाकर्मी एवं 15 अन्य प्रकार के मैनपॉवर लगाये गये या उससे अधिक का विवरण.....
 - (द) अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न (हो या नहीं).....
18. संलग्न की उपरोक्त क्रमवार संख्या.....
19. टेलीफोन नं०..... मोबाईल नम्बर..... ई-मेल.....

फर्म का नाम-

हस्ताक्षर / मुहर

कुलसचिव।

निविदा वित्तीय प्रपत्र सुरक्षाकर्मी एवं अन्य मैनुअल (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कार्मिक) हेतु 2023

विश्वविद्यालय की निविदा संख्या-.....दिनांक.....के क्रम में मैं/हमारी संस्था श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पर निम्न कार्य करने के लिये सहमत हूँ/हैं एवं निम्नवत दरें प्रस्तुत की जा रही हैं, जो कि उत्तराखण्ड सरकार के अद्यतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं अंकित की गयी है।

(क) सुरक्षाकर्मी- समय-समय पर आवश्यकतानुसार।

क्रम सं०	सुरक्षाकर्मी/श्रमिकों अनुमानित विवरण	कर्मचारियों का देय वेतन/मजदूरी रु० में(परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित)	ई०पी०एफ० की धनराशि	ई०एस०आई० की धनराशि रु० में	सर्विस चार्ज यदि कोई हो	जी०एस०टी०/अन्य कर (उल्लेख करें रु० में)	कुलयोग
01	02	03	04	05	06	07	08
1	सुरक्षा गार्ड (डंडा मैनुअल)						
2	सुरक्षागार्ड (भूतपूर्व सैनिक) कुशल						
3	सुरक्षा गार्ड बंदूकधारी (भूतपूर्व सैनिक) कुशल						
4	सुपरवाइजर (भूतपूर्व सैनिक) कुशल						

(ख) अन्य मैनुअल-समय-समय पर आवश्यकतानुसार।

क्रम सं०	मैनुअल/श्रमिकों का विवरण	कर्मचारियों का देय वेतन/मजदूरी रु० में(परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित)	ई०पी०एफ० की धनराशि	ई०एस०आई० की धनराशि रु० में	सर्विस चार्ज यदि कोई हो	जी०एस०टी०/अन्य कर (उल्लेख करें रु० में)	कुलयोग
01	02	03	04	05	06	07	08
1	अकुशल						
2	अर्द्धकुशल						
3	कुशल						
4	उच्च कुशल						

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान (यथा सर्विस जीएसटी०ई०पी०एफ०, बीमा बोनस, लेबर रजिस्ट्रेशन, ई०एस०आई०, मैडिकल फॅसिलिटी इत्यादि) पृथक् से नहीं किया जायेगा। अतः दरे तदनुसार ही अंकित करें। दरे श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी से कम मान्य नहीं होगी।

एल०-1 का निर्धारण कुल योग (कालम सं०- 08) व कार्मिकों की अनुमानित संख्या के आधार पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक फर्मों की दरें समान होने पर लॉटरी के माध्यम से फर्म चयनित की जायेगी। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्मिकों को देय धनराशि में परिवर्तन किया जा सकता है। व उसी आधार पर अन्य चार्ज (यथा ई०पी०एफ०, ई०एस०आई०, सर्विस चार्ज, जी०एस०टी०) नियमानुसार आंगणित होंगे जो फर्म को मान्य होंगे।

दिनांक-

स्थान-

अधिकृत के हस्ताक्षर, नाम एवं फर्म/संस्था की मोहर